	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	कार्तिक 1, बुधवार, *शाके* 1941–अक्टूबर 23, 2019 *Kartika 1, Wednesday, Saka 1941–October 23, 2019*	

भाग-6(क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

स्वायत्त शासन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 23, 2019

संख्या प.10(क)(चुनाव)(   )डीएलबी/19/11736:–भारत के संविधान के अनुच्छेद 244 (1) के अधीन पंचम अनुसूची के पैरा 5 के उप पैरा (1) एवं अनुच्छेद 243 थ के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एवं राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 को अनुसूचित क्षेत्र में लागू मानते हुए तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 थ के खण्ड–2 में किसी क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र घोषित किये जाने का प्रावधान है।

अतः मैं, कलराज मिश्र, राज्यपाल, राजस्थान निर्देश देता हूँ कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं.18) की धारा 3 की उपधारा (1) के खण्ड (क)(i) एवं उप धारा (8) के खण्ड (ग) तथा सपठित धारा 329 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत परतापुर, गढी ग्राम पंचायत का राजस्व ग्राम गढी, बेडवा ग्राम पंचायत का बेडवा आंशिक (बोहरा वाडी एवं मजरा लाम्बी डूंगरी), ग्राम पंचायत भगोरा का आंशिक भाग (रीको क्षेत्र) तथा ग्राम पंचायत खेरनकापारडा के गांव नवापादर व मोरडी के सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र को एतद्द्वारा नगरपालिका 'परतापुर–गढी' (चतुर्थ श्रेणी) के रूप में घोषित किया जाता है।

उक्त अधिसूचना दिनांक 30.05.2018 से लागू मानी जावेगी।

कलराज मिश्र,
राज्यपाल, राजस्थान।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।